न्यायालय–अपर जिला न्यायाधीश संख्या–01, बांदीकुई, जिला–दौसा।

पीठासीन न्यायाधीशः हनुमान सहाय जाट, आर.जे.एस.(RJ00640)

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना याचिका संख्या–98/2024

Case No.Family Main Case/112/2024 CNR RJDS060005102024

निर्णय दिनांक–06.04.2026

1

मनभावन पुत्र रामकरण, निवासी–नुरपूर, तहसील–बसवा, जिला–दौसा

–प्रार्थी/याची

बनाम

अनोखी पत्नी मनभावन पुत्री रंगलाल, निवासी–नानगवाडा गुजरान, तहसील–बांदीकुई, जिला–दौसा।

–अप्रार्थीया/अयाची

उपस्थितः–

1.प्रार्थी मनभावन की ओर से– श्री अमर सिंह, श्री हिम्मत सिंह, न्यायमित्र

2.अयाची अनोखी की ओर से –श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, न्यायमित्र

याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक	28.08.2024
जवाब याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक	11.07.2025
तनकीयात कायम करने की दिनांक	13.08.2025
प्रार्थी की साक्ष्य प्रारम्भ करने की दिनांक	07.02.2026
अप्रार्थीया की साक्ष्य प्रारम्भ होने की दिनांक	–
बहस अंतिम की दिनांक	02.04.2026
निर्णय की दिनांक	06.04.2026

साक्षीगण की सूचीः–

(अ) प्रार्थी की ओर से साक्षीः–

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
A.W.1	मनभाव	प्रार्थी एवं मूल गवाह
A.W.2	धारासिंह	प्रार्थी का पारिवारिक भाई
A.W.3	सीताराम	प्रार्थी का पारिवारिक भाई
A.W.4	धार्मसिंह	प्रार्थी का भाई

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजातः–

क्र.सं.	दस्तावेज नंबर	विवरण
1.	प्रदर्श–1	विवाह का कार्ड

(ब) अप्रार्थीया की ओर से साक्षीः–

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

अप्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजातः–

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
–	–	–

याचिका अंतर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

निर्णय **दिनांकः06.04.2026**

1. प्रार्थी मनभावन की ओर से यह याचिका अंतर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम दिनांक 28.08.2024 इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि प्रार्थी का विवाह अप्रार्थीया के साथ दिनांक 07.05.2014 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार गांव नांनगवाडा गुजरान में बिना किसी दान दहेज के सम्पन्न हुआ। मई,2021 में गौणा हो गया। गौने के पश्चात प्रार्थी ने अप्रार्थीया के खान पान व दाम्पत्य सुख सानिध्य का पूरा पूरा ध्यान रखा है। अप्रार्थीया का पिता लालची प्रवृत्ति का है। जो लगातार प्रार्थी के पिता से पैसे की मांग करता है तथा पैसा नहीं देने पर अप्रार्थीया का किसी दीगर व्यक्ति के साथ नाता विवाह करने की धमकी देता है। अप्रार्थीया गौणा के बाद जब पहली बार प्रार्थी के घर आयी तब ही प्रार्थी व उसके परिवारजन के साथ झगडा फिसाद करने लगी तथा बिना बताये ही गौणे के चार दिन बाद अपने पीहर चली गयी। उसके बाद अप्रार्थीया और उसके परिवारजनों से समझाइश करने के बाद अप्रार्थीया पुनः प्रार्थी के घर आ गयी और एक दिन रूकने के बाद प्रार्थी व उसके परिवारजन से झगडा फिसाद कर बिना बताये ही प्रार्थी के पिता द्वारा विवाह में चढाया गया समस्त स्त्रीधन लेकर अपने पीहर चली गयी। प्रार्थी व उसके परिवारजन ने कई बार अप्रार्थीया को लाने का प्रयास किया किन्तु अप्रार्थीया का पिता नाजायज रूपयों की अवैध मांग करता है

तथा एलानिया कहता है कि पैसे नहीं दिये तो वह अप्रार्थीया का नाता विवाह किसी दीगर व्यक्ति के साथ कर देगा। पूर्व में भी प्रार्थी के पिता से अप्रार्थीया के पिता व अप्रार्थीया के ताउ के लडके हीरालाल द्वारा अपने घर एकल बिन्दु लगवाने के नाम से एक जून, 2013 को 10,000 रूपये, जमीन की रजिस्ट्री करवाने हेतु 37,000 रूपये सन् 2018 में, 4,500 रूपये दिनांक 13.10.2014 को, 1,50,000 रूपये प्लाट खरीदने वास्ते दिनांक 01.10.2014 को लिये तथा 20,000 रूपये दिनांक 01.12.2014 को प्रार्थी के पिता ने अपने भाई रामस्वरूप व परिचित से ब्याज पर उधार लेकर अप्रार्थीया के पिता को दिये। दिनांक 15 जून, 2024 को प्रार्थी अपने माता पिता रिश्तेदारान एवं गांव के प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति में अप्रार्थीया के गांव जाकर अप्रार्थीया को अपने घर लाने के लिए समझाइश की। प्रबुद्ध जनों की समझाइश और प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजनों के निवेदन पर अप्रार्थीया के परिजनों ने अप्रार्थीया को 27 जून, 2024 को प्रार्थी के घर भेज दिया लेकिन अप्रार्थीया ने प्रार्थी के घर आते ही प्रार्थी व उसके परिवारजनों के साथ गाली गलौच व उलटे सीधे लाछंन लगाना शुरू कर दिया और 2–3 दिन रूकने के बाद अप्रार्थीया अपने परिवारजन को बुलाकर बिना युक्तियुक्त कारण के अपने पीहर चली गयी। तब से लेकर आज तक अप्रार्थीया अपने पीहर में रह रही है। अप्रार्थीया अपने माता पिता के बहकावे में आकर बिना किसी युक्ति युक्त कारण के प्रार्थी का परित्याग कर रखा है एवं अप्रार्थीया ने प्रार्थी के साथ वैवाहिक एवं दाम्पत्य संबंधों को स्थापित किये बिना प्रार्थी का जीवन नरकीय कर रखा है। अन्त में अप्रार्थीया को प्रार्थी के साथ बतौर पत्नी रहने के लिए एवं वैवाहिक दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए पाबंद करने की प्रार्थना की।

2. अप्रार्थीया ने उपर्युक्त याचिका का जवाब प्रस्तुत कर विवाह होना स्वीकार करते हुए शेष तथ्यों को गलत बताया। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज करने की प्रार्थना की।

3. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर याचिका में निम्न विवाद्यक कायम किये गयेः–

1. आया अप्रार्थीया ने दिनांक 27.06.2024 के दो तीन दिन पश्चात से बिना युक्तियुक्त कारण के प्रार्थी से अपना सहचर्य प्रत्यहृत कर लिया है तथा प्रार्थी को दाम्पत्य संबंधों से वंचित कर दिया है?

–प्रार्थी

2. आया प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत याचिका को नामंजूर करने का कोई वैध आधार मौजूद नहीं है?

–प्रार्थी

3. अनुतोष?

4. प्रार्थी ने उपर्युक्त विवाद्यकों के संबंध में मौखिक साक्ष्य में गवाह ए.डब्ल्यू–1 लगायत ए.डब्ल्यू–4 को परीक्षित करवाया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 दस्तावेज को प्रदर्शित करवाया गया।

5. अप्रार्थीया की ओर से किसी प्रकार की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी।

6. बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। याचिका में विरचित विवाद्यकों के संबंध में न्यायालय का विनिश्चय निम्न प्रकार से हैः–

विवाद्यक संख्या–1

"***आया अप्रार्थीया ने दिनांक 27.06.2024 के दो तीन दिन पश्चात से बिना युक्तियुक्त कारण के प्रार्थी से अपना सहचर्य प्रत्यहृत कर लिया है तथा प्रार्थी को दाम्पत्य संबंधों से वंचित कर दिया है?***"

7. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। इस विवाद्यक के संबंध में प्रार्थी ने अपनी याचिका में उल्लेख किया है कि प्रार्थी का विवाह अप्रार्थीया के साथ दिनांक 07.05.2014 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार अप्रार्थीया के गांव नांनगवाडा गुजरान में बिना दान दहेज के सम्पन्न हुआ था। प्रार्थी का विवाह

अप्रार्थीया के साथ हिन्दू रीति रिवाज से होने के तथ्य को अप्रार्थीया की ओर से जवाब में स्वीकार किया गया है, शेष तथ्यों को अस्वीकार किया गया है। अतः प्रार्थी का विवाह अप्रार्थीया के साथ हिन्दू रीति रिवाज से होना स्वीकृत तथ्य है।

8. प्रार्थी ने अपनी याचिका में यह भी उल्लेख किया है कि अप्रार्थीया गौना के बाद अब पहली बार प्रार्थी के घर आयी तब वह प्रार्थी व उसके परिवारजन के साथ झगडा फसाद करने लगी और बिना बताये गौना के चार दिन बाद अपने पीहर चली गयी। समझाइश करने पर अप्रार्थीया पुनः प्रार्थी के घर आयी और एक दो दिन रूकने के बाद प्रार्थी व उसके परिवारजन से झगडा फसाद कर बिना बताये प्रार्थी के विवाह में चढाया गया समस्त स्त्रीधन लेकर चली गयी। प्रबुद्धजनों के समझाइस के उपरान्त दिनांक 27.06.2024 को अप्रार्थीया को प्रार्थी के घर भेज दिया लेकिन अप्रार्थीया ने प्रार्थी के घर आते ही प्रार्थी व उसके परिवारजन के साथ गाली गलौच व उलटे सीधे लांछन लगाना शुरू कर दिया और 2–3 दिन रूकने के बाद बिना युक्तियुक्त कारण के अपने पीहर चली गयी। अप्रार्थीया अपने माता पिता के बहकावे में आकर बिना किसी युक्तियुक्त कारण के प्रार्थी का परित्याग कर रखा है। अप्रार्थीया ने प्रार्थी के साथ वैवाहिक दाम्पत्य संबंधों को स्थापित किये बिना ही प्रार्थी का जीवन नरकीय बना रखा है। उपरोक्त तथ्यों को साबित करने के लिए प्रार्थी की ओर से परीक्षित गवाह ए.डब्ल्यू–1 मनभावन, ए.डब्ल्यू–2 धारासिंह, ए.डब्ल्यू–3 सीताराम व ए.डब्ल्यू–4 धार्म सिंह ने याचिका के तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थीया द्वारा बिना युक्तियुक्त कारण के प्रार्थी का परित्याग करना बताया गया है तथा प्रार्थी के घर पर कम समय रूकने का कथन किया गया है। साथ ही प्रार्थी व उसके परिवारजन से झगडा फसाद करके समस्त स्त्रीधन लेकर पीहर जाना बताया गया है। अप्रार्थीया की ओर से जवाब में याचिका के तथ्यों का खंडन किया गया है परन्तु जवाब के समर्थन में कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। मौखिक बहस में अप्रार्थीया की ओर से यह तर्क रहा है कि प्रार्थी के द्वारा क्रूरता कारित की गयी थी। दहेज का

मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था। परन्तु उपरोक्त तर्कों के समर्थन में अप्रार्थीया की ओर से कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। अतः अप्रार्थीया के द्वारा प्रार्थी का सहचर्य प्रत्याहृत करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण प्रकट नहीं होता है। लिहाजा अप्रार्थीया के द्वारा दिनांक 27.06.2024 के 2–3 दिन पश्चात से बिना युक्ति युक्त कारण के प्रार्थी से सहचर्य प्रत्याहृत करना तथा प्रार्थी को दाम्पत्य संबंधों से वंचित करना पाया जाता है। लिहाजा यह विवाद्यक प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

विवाद्यक संख्याः–2–

"***आया प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत याचिका को नामंजूर करने का कोई वैध आधार मौजूद नहीं है?***"

9. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। प्रार्थी की ओर से अपनी याचिका में किये गये अभिवचनों के संबंध में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गयी है। अप्रार्थीया की ओर से याचिका को नामंजूर करने के संबंध में कोई आधार नहीं लिया गया है ना कोई साक्ष्य पेश की गयी है। अप्रार्थीया के न्यायमित्र का यह तर्क रहा है कि अप्रार्थीया ने दिनांक 26.11.2025 को मुकुट से पुनः विवाह कर लिया है। उसके साथ पत्नी के तौर पर निवास कर रही है। इसलिए धारा 9 का यह आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी की ओर से परीक्षित गवाह ए.डब्ल्यू–2 धारासिंह, ए.डब्ल्यू–3 सीताराम व ए.डब्ल्यू–4 धार्म सिंह ने दिनांक 26.11.2025 को अप्रार्थीया के द्वारा मुकुट से विवाह कर लेना कथन किया है। अतः अप्रार्थीया के द्वारा दिनांक 26.11.2025 को मुकुट नाम के व्यक्ति से पुनः विवाह करने के संबंध में प्रार्थीगण की ओर से परीक्षित गवाहन की मौखिक साक्ष्य है। परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि अप्रार्थीया के द्वारा प्रार्थी से विवाह विच्छेद के उपरान्त पुनःविवाह के संबंध में कोई साक्ष्य सामग्री नहीं है। अतः बिना विवाह विच्छेद के ही पुनः विवाह करना कानून की दृष्टि से वैध विवाह की श्रेणी में नहीं आता है। अतः अप्रार्थीया के न्यायमित्र का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है तथा

उक्त तर्क के आधार पर याचिका नामंजूर योग्य नहीं पायी जाती है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत याचिका नामंजूर करने का कोई आधार प्रकट नहीं होता है। अतः यह विवाद्यक प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

अनुतोषः–

10. चूंकि विवाद्यक संख्या–1 व 2 का विनिश्चय प्रार्थी के पक्ष में रहा है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह याचिका अंतर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है। फलस्वरूप विधि एवं न्याय के परिप्रेक्ष्य में निम्न आदेश पारित किया जाता हैः–

– आदेश –

11. अतः प्रार्थी **मनभावन** पुत्र रामकरण, निवासी–नुरपूर, तहसील–बसवा, जिला–दौसा की ओर से प्रस्तुत याचिका अंतर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 बाबत दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना विरूद्ध अप्रार्थीया अनोखी पत्नी मनभावन पुत्री रंगलाल, निवासी–नानगवाडा गुजरान, तहसील–बांदीकुई, जिला–दौसा स्वीकार की जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थीया प्रार्थी के पास आकर रहे तथा दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना करे। उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(हनुमान सहाय जाट)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–2,
बांदीकुई, जिला दौसा

12. निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय जाट)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–2,
बांदीकुई, जिला दौसा